186

परिशिष्ट-2

(नियम 8 का [illegible] (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी [illegible] शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/ सा-5/ फा- मान्यता / [illegible]/ आरटीई/जयपुर पश्चिम / 145 /2012 दिनांक:-17/07/12

संस्था सचिव

जनता गर्ल्स पब्लिक स्कूल

शिप्रापथ मानसरोवर

जयपुर

विषय : नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता / सम्बद्धता प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन दिनांक 15/3/12 [illegible] और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण [illegible] जिला [illegible]

जनता गर्ल्स पब्लिक स्कूल [illegible] मानसरोवर, जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) को 01-04-12 से 31-03-2013 [illegible] की कालावधि के लिये कक्षा 01 से VIII तक के लिये [illegible] मान्यता / सम्बद्धता [illegible] करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति [illegible] होगी :-

मान्यता के लिये मंजूरी विस्तारणीय [illegible] और किसी भी तरह [illegible] 8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य [illegible] शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय [illegible] नियम सं 35) और राजस्थान [illegible] और अनिवार्य बाल [illegible] का अधिकार नियम, 2011 के [illegible] उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति [illegible] विद्यालय कक्षा में 2009 [illegible] अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक [illegible] कमजोर वर्ग और [illegible] समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रारम्भिक शिक्षा [illegible] निःशुल्क और अनिवार्य [illegible] शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये [illegible] राजस्थान [illegible] और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्ध [illegible] प्रतिपूर्ति की [illegible] प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसायटी / विद्यालय कोई [illegible] संग्रहित नहीं करेगा [illegible] या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छटाई प्रक्रिया [illegible] नहीं बनायेगा।

विद्यालय आयु के सबूत के [illegible] प्रवेश [illegible] नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्ध [illegible] विद्यालय [illegible] करेगा कि :-

PRINCIPAL
JANTA GIRLS PUBLIC SCHOOL
MANSAROVAR, JAIPUR

PRINCIPAL
JANTA GIRLS PUBLIC SCHOOL
MANSAROVAR, JAIPUR

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को [illegible] में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से [illegible] नहीं किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड [illegible] उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को [illegible] निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार [illegible] विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान [illegible] 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, वे 2009 के अधिनियम [illegible] 23 के परन्तुक [illegible] उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी [illegible] अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी [illegible] क्रियाकलापों में नहीं [illegible]।

विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा [illegible] पाठ्यक्रम के [illegible] पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

विद्यालय, 2009 के अधिनियम की [illegible] यथा- विनिर्दिष्ट [illegible] और मानकों का अनुरक्षण करेंगे।

अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट [illegible] निम्नानुसार [illegible] संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र- प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय [illegible]
- लड़के और लड़कियों के लिए [illegible] शौचालय
- पीने के पानी की सुविधा
- मीड-डे-मील पकाने के लिए [illegible]
- अवरोध मुक्त पहुंच
- [illegible] अध्यापन/शिक्षा सामग्री [illegible] /पुस्तकालय [illegible]

विद्यालय परिसर के भीतर और [illegible] मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं [illegible] शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्ति [illegible] समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किए [illegible] लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को [illegible] भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित [illegible] कोड संख्या (RJ/BEEO/JPR/WEST/2012-13/.....01 8 6..........) है। कृपया [illegible] किया जावे और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये इसे उल्लेखित किया जावे।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं [illegible] जिनकी निदेशक, [illegible] शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर [illegible] जावे और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता [illegible] लगातार पूरा करने [illegible] विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए [illegible] द्वारा जारी किये जा[illegible]

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का [illegible], यदि कोई हो, सुनि[illegible]।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव होना।

19.

20. शत प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित नहीं होना।

व.उ.जिला शिक्षा अधिकारी
जयपुर पश्चिम

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

PRINCIPAL
JANTA GIRLS PUBLIC SCHOOL
MANSAROVAR, JAIPUR

PRINCIPAL
JANTA GIRLS [illegible] SCHOOL